डायरी क्रमांक 563
कार्य सं० ...
दिनांक 28-3-17

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।

पत्रांक 3035/ 14–1 बिजनौर, दिनांक, मार्च, 28 2017।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
बिजनौर।

विषय :– जनपद बिजनौर में बिजनौर–नूरपुर–छजलैट (राज्य मार्ग संख्या–76) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 27.23 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1249 वृक्षों के पातन की अनुमति के सबध में।

संदर्भ:– पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) उ0प्र0 लखनऊ की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या 8बी0/यू0पी0/06/90/2016/एफ0सी0/573 दिनांक 21–03–2016।

महोदय,

पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 एफ0एन0 सं0–11–268/2014 एफसी, दिनांक 11–07–2014 व एफ0एन0 सं0–11–09/98 एफसी, दिनांक 21–08–2014 के दृष्टिगत जनपद बिजनौर में बिजनौर–नूरपुर–छजलैट (राज्य मार्ग संख्या–76) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 27.2307 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1249 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु आनलाइन उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन अनुमति प्रदान की गई है। कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति की निम्न शर्तो की अनुपालन आख्या शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि 54.46 हे0 अर्थात 55.00 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण सामान्य वृक्षारोपण दस वर्षो तक रख–रखाव सहित रू0 69,34,500.00 (रू0 उनहत्तर लाख चौतिस हजार पॉच सौ मात्र)।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। प्रभावित वन भूमि 27.2307 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य 6.26 लाख प्रति हे0 के दर से रू0 1,70,46,418.00 (रू0 एक करोड़ सत्तर लाख छियालिस हजार चार सौ अठारह मात्र)।

   (ख) उपरोक्त धनराशि ऑनलाईन e-payment portal slip के माध्यम से जमा कर e-payment portal slip अनुपालन आख्या के साथ में छाया प्रति संलग्न करे, सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

JET
AE 28/3
EE 28/3/2017

विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16–11–2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशों में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
6. राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार सहिता के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेगी।

उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुंस्पष्ट परिपालन आख्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केन्द्रीय कार्यालय मध्य लखनऊ के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02–फरवरी 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (सरंक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी करने हेतु प्रकरण उच्च स्तर को प्रेषित किया जायेगा। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नही की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नही किये जाते।

भवदीय,

(एम0 सेम्मारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी बिजनौर/चॉदपुर।

(एम0 सेम्मारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।